महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक :– रू0वि0/सम्ब0/2017/ 231–37 दिनांक–06.03.2017

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव,
ऋषिबाल महाविद्यालय,
पट्टी मौढ़ा, काँठ, मुरादाबाद।

विषय :संस्था ऋषिबाल महाविद्यालय, पट्टी मौढ़ा, काँठ, मुरादाबाद को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 अति0विषयः–राजनीतिशास्त्र, उर्दू, भूगोल, वाणिज्य संकायान्तर्गत बी0काम0 तथा विज्ञान संकायान्तर्गत बी0एस0–सी0(मैथ व बायो ग्रुप) पाठ्यक्रमों/विषयों में कक्षा संचालन की अनुमति सत्र 2016–17 से प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 27.01.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा संस्था ऋषिबाल महाविद्यालय, पट्टी मौढ़ा, काँठ, मुरादाबाद को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 अति0विषयः–राजनीतिशास्त्र, उर्दू, भूगोल, वाणिज्य संकायान्तर्गत बी0काम0 तथा विज्ञान संकायान्तर्गत बी0एस0–सी0(मैथ व बायो ग्रुप) पाठ्यक्रमों/विषयों में कक्षा संचालन की अनुमति सत्र 2016–17 से प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के पत्र संख्याः रू0वि/सम्बद्धता/2016/648–56, दिनांक 30.06.2016 के द्वारा संस्था ऋषिबाल महाविद्यालय, पट्टी मौढ़ा, काँठ, मुरादाबाद को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 अति0विषयः–राजनीतिशास्त्र, उर्दू, भूगोल, वाणिज्य संकायान्तर्गत बी0काम0 तथा विज्ञान संकायान्तर्गत बी0एस0–सी0(मैथ व बायो ग्रुप) पाठ्यक्रमों/विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन, आवेदित पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं की नियुक्ति/अनुमोदन तथा प्रबन्ध समिति का अनुमोदन वांछित होने के दृष्टिगत दिनांक 01.07.2016 से तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता प्रदान की गयी है।

कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 21.02.2017 के द्वारा संस्था ऋषिबाल महाविद्यालय, पट्टी मौढ़ा, काँठ, मुरादाबाद को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 अति0विषयः–राजनीतिशास्त्र, उर्दू, भूगोल प्रत्येक विषय में एक–एक सेक्शन(अधिकतम 60 छात्र प्रति सेक्शन), वाणिज्य संकायान्तर्गत बी0काम0 में दो सेक्शन(अधिकतम 60 छात्र प्रति सेक्शन) तथा विज्ञान संकायान्तर्गत बी0एस0–सी0(मैथ व बायो ग्रुप) प्रत्येक ग्रुप में एक–एक सेक्शन(अधिकतम 60 छात्र प्रति सेक्शन), में कक्षा संचालन की अनुमति सत्र 2016–17 से आगामी तीन वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रदान की जाती हैः

1. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

डा0(एस0एल0मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वित्त अधिकारी
2. परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव(गोपनीय, शैक्षणिक, मुद्रण)
3. निजी सचिव कुलपति।
4. प्रभारी कम्प्यूटर।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
6. वेबसाइट प्रभारी।

कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रू.वि./सम्ब. /2019/ 477-82 दिनांकः 30.05.2019

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
ऋषि बाल महाविद्यालय,
पट्टी मौढ़ा, काँठ, मुरादाबाद।

विषयः संस्था ऋषि बाल महाविद्यालय, पट्टी मौढ़ा, काँठ, मुरादाबाद को स्नातक स्तर पर बी०ए० (अति० विषय – उर्दू, भूगोल, राजनीतिशास्त्र), बी०कॉम०, बी०एस–सी० (बायो व मैथ) पाठ्यक्रमों/विषयों में स्थायी सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब–1145/सत्तर–2–2014–16(258) /2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 30.05.2019 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्था ऋषि बाल महाविद्यालय, पट्टी मौढ़ा, काँठ, मुरादाबाद को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी०ए० (अति० विषय – उर्दू, भूगोल, राजनीतिशास्त्र), वाणिज्य संकायान्तर्गत बी०कॉम०, बी०एस–सी० (बायो व मैथ) पाठ्यक्रमों/विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2019 से स्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। उक्त कमियों/शर्तों की पूर्ति नहीं होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

01. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा कि स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर–2– 2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।

02. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

03. संस्थान/महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/ महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।

04. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

05. संस्था का उपयोग शिक्षणकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यो में नहीं किया जायेगा एवं संस्था परिसर को रैगिंग से मुक्त रखेगी।

06. सभी महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु स्लैप का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।

07. महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा।

08. उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के पत्र संख्या 332/सत्तर–3–2018 दिनांक 26 फरवरी, 2018 के अनुसार महाविद्यालय भवन का निर्माण भूकम्परोधी होना चाहिए।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. वित्त अधिकारी, एम0जे0पी0रू0वि0, बरेली।
02. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
03. निजी सचिव, कुलपति ।
04. परीक्षा नियंत्रक को अग्रिम कार्यवाही हेतु ।
05. श्री रविन्द्र गौतम, प्रोग्रामर को इस आशय से कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।

कुलसचिव

संख्या-सम्ब0-191/सत्तर-2-2011-2(109)/2010

प्रेषक,

सुरजन सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊः दिनांकः ३० सितम्बर, 2011

विषयः- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः सम्ब0/2011/4244-45, दिनांक 25 जून, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन ऋषि बाल महाविद्यालय, पट्टी गौढ़ा, कांठ, मुरादाबाद को कला सकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, संस्कृत, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र) पाठ्यक्रम/विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2011 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की है-

(1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(2) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(सुरजन सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0-191(1)/सत्तर-2-2011-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली
(3) सचिव/प्रबन्धक, ऋषि बाल महाविद्यालय, पट्टी, मौढ़ा, कांठ, मुरादाबाद।
(4) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(5) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
(6) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरजन सिंह
अनु सचिव।